UPKS010019832024

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट, कौशाम्बी।</u>

परिवाद संख्या-54/2024

सावित्री देवी बनाम रामबाबू मौर्य व 3 अन्य।

<u>दिनांक-12.08.2026</u>

01. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। बहस तलबी पर परिवादिनी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

02. संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि प्रार्थिनी/परिवादिनी एक गरीब व मेहनत मजदूरी करने वाली महिला है। प्रार्थिनी मेहनत मजदूरी के लिए बैगवॉ गांव के भैरों बाबा के मेला में अपनी जलेबी की दुकान लगाई थी। प्रार्थिनी दिनांक 28.12.2023 को समय करीब 10:00 बजे सुबह अपनी दुकान में जलेबी का शिरा बना रही थी, तभी मेले में जनरेटर चलाने वाला व्यक्ति आया और प्रार्थिनी की दुकान के बगल में 2 गद्दे रख दिया और कहा कि मेरे गद्दे यहां पर रखे हैं, इन्हें देखे रहना, थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने गद्दे उठा ले जाऊंगा। कुछ समय बाद टेन्ट हाउस संचालक रामबाबू मौर्य पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम ढोसकहा, जो टेन्ट हाउस की दुकान बैगवां में रखे है, प्रार्थिनी की दुकान के पास आया आया और प्रार्थिनी से कहा कि यह गद्दा मेरे टेन्ट हाउस का है, यह गद्दा यहां पर कैसे आया, जिस पर प्रार्थिनी ने उपरोक्त जनरेटर चलाने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में बताया तो वह प्रार्थिनी की एक भी बात न सुनते हुए प्रार्थिनी को गाली-गलौज करने लगा, जिस बात का प्रार्थिनी ने विरोध किया तो रामबाबू मौर्य पुत्र अज्ञात ने ललकारते हुए सुभाष पुत्र जगन्नाथ व अमरनाथ पुत्र केदारनाथ व संतोष कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद निवासीगण ग्राम बैगवाँ, थाना व जिला कौशाम्बी को बुलाकर कहा कि लाठी डण्डा लेकर आओ, आज इस पासिन लेडासिन मादरचोद की नेतागीरी निकालते हैं और इतना कहकर प्रार्थिनी की दुकान के अंदर घुस आये और प्रार्थिनी का बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले आये और जमीन पर पटक कर लाठी, डण्डों से बुरी तरह से प्रार्थिनी को मारने-पीटने लगे तथा प्रार्थिनी की दुकान का सारा समान तोड़-फोड़ डाले तथा जलेबी का शिरा सड़क पर फेंक दिये तथा प्रार्थिनी को सड़क पर समाज के सामने जाति सूचक शब्द पासिन लेड़ासिन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किये। प्रार्थिनी जब जोर से चिल्लायी तो मेले के कुछ दुकानदार व रामकिशन के आ जाने पर प्रार्थिनी की जान बची तथा विपक्षीगणों ने जाते-जाते धमकी दिया कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कहीं शिकायत किया तो तुम्हें जान से मार डालेगें। उसके बाद प्रार्थिनी ने 112 नम्बर डायल के जरिये पुलिस को सूचना दिया तब पुलिस आयी परन्तु तब तक विपक्षीगण चले गये थे। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी को सूचना दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाना हाजा की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण सी०एच०सी० बारा कौशाम्बी में कराया था। प्रार्थिनी की नाक में गम्भीर चोट से फैक्चर था, जिस पर प्रार्थिनी को जिला हास्पिटल मंझनपुर, में रिफर किया गया था। प्रार्थिनी की जब थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब प्रार्थिनी ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार विपक्षीगण को तलब कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

03 परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अन्तर्गत धारा- 200 सी.आर.पी.सी. के तहत स्वयं का बयान पी.डब्ल्यू-1 के रूप में व धारा 202 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत पी0 डब्लू-1 के रूप में रामकृष्ण एवं पी0 डब्लू-2 के रूप में मनबोध का बयान अंकित कराया गया।

04. परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 सी.आर.पी.सी. में कथन की है कि *"घटना दिनांक 28.12.2023 की समय 10 बजे दिन की है। मैं अपनी दुकान पर जलेबी का शिरा बना रही थी। मेले में जेनरेटर चलाने वाला, जिसका नाम नहीं जानती हूं, मेरी दुकान पर आया और उसने दो गद्दे मेरी दुकान पर रखा। मैंने पूछा कि यहां क्यों रखा है, तो उसने कहा कि अभी ले जाऊंगा थोड़ी देर में। इतने में रामबाबू मौर्या आया और कहा कि हमारे गद्दे यहां क्यों रखे हो, और पासिन लड़ासिन की गाली देने लगा। उसके बाद रामबाबू ने सुभाष, संतोष, अमरनाथ को बुलाकर मेरे बालों को खींचकर मुझे दुकान पर मारा है। दुकान के अंदर घुसकर मेरी चोटी पकड़कर बाहर घसीट लाये और मुझे मारा पीटा तथा पासिन लड़ासिन की गाली दिया। मेरे जलेबी का शिरा सड़क पर फेंक दिया। मेरे चिल्लाने पर मेले के रामकिशुन और अन्य दुकानदारों द्वारा बीच बचाव के बाद विपक्षी कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उसके बाद मैंने 112 नं० पर फोन किया, पुलिस वाले आये तब तक विपक्षी चले गये थे। उसके बाद में थाना गयी जहां पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल सी०एच०सी०बारा में कराया। मारपीट में मेरे नाक में फ्रैक्चर हो गया था, तो वहां से मुझे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस वालो ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा। मैं एस०पी० साहब के यहां गयी किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुयी। यही मेरा बयान है।"*

5. विपक्षीगण द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता/विपक्षी को उपरोक्त परिवाद में फर्जी फंसाया गया है। सही बात यह है कि वादिनी की दुकान मेले में थी। विपक्षीगण का टेन्ट हाउस का काम होता है। वादिनी ने उसमें से कई गद्दों को चोरी कर लिया था। विपक्षी ने अपने गद्दे उसके दुकान से ले लिया था। इसी कारण से झूॅठा मुकदमा लिखा दिया गया था ताकि चोरी से बच जाये और दबाव बना रहे है। विपक्षीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, केवल दबाव बनाने के लिये फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निरस्त करने की याचना की गयी है।

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण पर गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप लगाया गया है। परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी का बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले आये और जमीन पर पटक कर लाठी, डण्डों से बुरी तरह से प्रार्थिनी को मारने-पीटने लगे तथा प्रार्थिनी की दुकान का सारा समान तोड़-फोड़ डाले तथा जलेबी का शिरा सड़क पर फेंक दिये तथा प्रार्थिनी को सड़क पर समाज के सामने जाति सूचक शब्द पासिन लेड़ासिन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किये। प्रार्थिनी की नाक में गम्भीर चोट से फैक्चर था, जिस पर प्रार्थिनी को जिला हास्पिटल मंझनपुर, में रिफर किया गया था। जबकि विपक्षी द्वारा आपत्ति दाखिल कर अपने आपत्ति में कथन किया गया है कि विपक्षीगण का टेन्ट हाउस का काम होता है। वादिनी ने उसमें से कई गद्दों को चोरी कर लिया था। विपक्षी ने अपने गद्दे उसके दुकान से ले लिया था। इसी कारण से झूॅठा मुकदमा लिखा दिया गया था ताकि चोरी से बच जाये और दबाव बना रहे है। विपक्षीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, केवल दबाव बनाने के लिये फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है।

7- परिवाद पत्र, परिवादिनी के धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित कथन, धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित साक्षियों के बयान, विपक्षीगण द्वारा दाखिल आपत्ति तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।

8- परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद तथा बयान में नाक में फ्रैक्चर होने की बात कही गयी है, परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य के समर्थन में मूल चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसकी प्रमाणिकता इस स्तर पर स्थापित नहीं है। इसके अतिरिक्त कथित घटना दिनांक 28.12.2023 की बतायी गयी है जबकि चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 31.12.2023 को कराया जाना प्रदर्शित है। घटना एवं चिकित्सीय परीक्षण के मध्य लगभग तीन दिन का विलम्ब है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह परिस्थिति अभियोग की सत्यता के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न करती है। परिवादिनी ने अपने परिवाद में उल्लेख किया

है कि उसके शोर मचाने पर रामकिशन एवं अन्य दुकानदारों के हस्तक्षेप से उसकी जान बची, किन्तु उक्त महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी रामकिशन का बयान धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित नहीं कराया गया। सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत न किया जाना परिवादिनी के कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि वह अपनी दुकान पर जलेबी का शिरा बना रही थी। मेले में जेनरेटर चलाने वाला, जिसका नाम नहीं जानती, उसकी दुकान पर आया और उसने दो गद्दे उसकी दुकान पर रखा। उसने पूछा कि यहां क्यों रखा है, तो उसने कहा कि अभी ले जाऊंगा थोड़ी देर में। इतने में रामबाबू मौर्या आया और कहा कि हमारे गद्दे यहां क्यों रखे हो, और पासिन लड़ासिन की गाली देने लगा। उसके बाद रामबाबू ने सुभाष, संतोष, अमरनाथ को बुलाकर उसके बालों को खींचकर उसे दुकान पर मारा तथा पासिन लड़ासिन की गाली दिया। जबकि विपक्षी द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि वादिनी की दुकान मेले में थी। विपक्षीगण का टेन्ट हाउस का काम होता है। वादिनी ने उसमें से कई गद्दों को चोरी कर लिया था। विपक्षी ने अपने गद्दे उसके दुकान से ले लिया था। इसी कारण से झूॅठा मुकदमा लिखा दिया गया था ताकि चोरी से बच जाये और दबाव बना रहे। ऐसा परिलक्षीत होता है कि परिवादिनी द्वारा गद्दे चोरी के आरोप से बचने के लिये विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेशबन्दी में प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9- उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर परिवादिनी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। आवेदिका/परिवादिनी द्वारा लगाये गये सम्पूर्ण आरोप बेबुनियाद, तथ्यहीन व मनगढंत प्रतीत होते हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व बयानों के आधार पर घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

10. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है। विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार, प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-203 सी.आर.पी.सी. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा-203 सी.आर.पी.सी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमित मालवीय)
विशेष न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी.एक्ट,कौशाम्बी।
I.D.NO-U.P.6214

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.08.12 17:26:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court